सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –1561. / 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

श्रवण पुत्र मूला कुमावत जाति कुमावत निवासी पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र हरजी कुमावत
2. काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र जगदीश
3. सावंरा पुत्र जगदीश
   तमाम जाति कुमावत निवासीगण पिपलाज तह.सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–4.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पिपलाज में पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पिपलाज तहसील सावर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 714 के खसरा नम्बर 2095 / 1,2111 / 1 कुल किता 2 कुल रकबा 2.56 दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थीगण ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात में पडोसियान द्वारा बिना हक हिस्से के , कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। भूमि की सीमा चिन्ह सही नही होने से सीमाऐ अस्पष्ट है। प्रार्थीगण की आराजीयात को पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराते हुये प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाये जाने का निवेदन किया है ं। अतः वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह शक्तावत द्वारा पावर पेश किया । पत्रावली में जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। पत्रावली केम्प कोर्ट पिपलाज में पेश हुई । पैरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । वादीगण की खातेदारी की आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है। अतः वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वादग्रस्त की भूमि वाके ग्राम पिपलाज तहसील सावर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 714 के खसरा नम्बर 2095 / 1,2111 / 1 कुल किता 2 कुल रकबा 2.56 की पत्थरगढी हेतु वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सावर को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा कर वादग्रस्त भूमि पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 04.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्डअधिकारी
केकड़ी